


5/8/22

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता मय वादीगण  
अनुपस्थित। आवार्जे फिरारि गई। खरुप सांय  
5 PM ही चुका है। अतः वादीगण मय अधिवक्ता  
द्वारा अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम  
हालरी/ अदम पेशी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फंसल सुधार होकर नम्बर से फसले  
निर्णय सुगाया गया।

  
5/8/22

